प्रतिवेदन

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई– 4.00 किमी0)

उपरोक्त सडक मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 4657/III(2)/13-02(मु0मं0घो0)/2013 दिनॉक 30/08/2013 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू सडक मार्ग निर्माण कार्य हेतु 4.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त है लेकिन वास्तविक लम्बाई 4.00 किमी0 ही आती है इसलिये यह प्रस्ताव 4.00 किमी0 लम्बाई में तैयार किया गया है। इस मार्ग के बनने से भलेर एवं मदर्सू को यातायात का लाभ मिलेगा। तथा इसी मार्ग से ग्रामीणों की नगदी फसलों को मण्ड़ी तक पहुंचानें में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है –

1 – आरक्षित वन भूमि	–	1.3895है0
2 – वन पंचायत भूमि	–	0.0000है0
3 – सिविल सोयम वन भूमि	–	0.2205है0
4 – नाप भूमि सडक मार्ग हेतु	–	1.1900है0
5 – नाप भूमि डम्पिंग हेतु	–	0.3270है0
योग	–	**3.1270है0**

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 4000 मी0 लम्बाई में जिसमें नाप भूमि 7.00 मीटर चौड़ाई में, सिविल सोयम भूमि 7.00 मी0 तथा आरक्षित वन भूमि 7.00 मी0 चौडाई में ली गई है। इस मार्ग में नाप भूमि 1.5170 है, सिविल सोयम भूमि 0.2205 है0, आरक्षित वन भूमि 1.3895 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 कुल 1.6100 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड़ सरकार हेतु भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिए प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त एक अन्य समरेखंण भी तैयार किया गया परन्तु समरेखंण 2 में समरेखंण 1 की अपेक्षा लम्बाई एवं वन भूमि अधिक आ रही है। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या संलग्न है।

उक्त सडक मार्ग के निर्माण से लगभग 1086 जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा उक्त ग्राम सडक मार्ग से जुड़ जायेगा। पर्वतीय ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र से यातायात से जुड़ कर लाभान्वित हो जायेगें और नगदी फसलों को बाजार तक विपणन करने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मार्ग का समरेंखण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि उक्त ग्राम सडक मार्ग से जुड जायेगा एंव मानक के अनुरूप न्यूनतम वन भूमि उपयोग में लाई जायेगी, जिससे कम वृक्ष एंव फसलें प्रभावित होगी। सडक मार्ग का 4000 मी0 लम्बाई में सिविल सोयम भूमि एवं आरक्षित वन भूमि की 7.00 मी0 चौडाई में वृक्षों की गणना की गई। जिससे कम से कम वृक्षों का पातन होगा।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू सडक मार्ग के निर्माण हेतु 1.6100 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि प्रस्ताव गठित कर विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून	सहायक अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून